संगीता वर्मा
सचिव

सन्दर्भः यूपीईआरसीः/सचिव/नि0(एसकेएस)/2006
दिनांकः 11 जुलाई 2006

प्रापकः

1. अध्यक्ष, उ0प्र0, पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ–250 001
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, गैलाना रोड, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 4– गोखले मार्ग, लखनऊ– 226 001
6. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, 132 के0वी0 सब–स्टेशन, भिखारीपुर, पो0ओ0– डी0एल0डबलू0, वाराणसी।
7. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत वितरण कम्पनी, केसा हाउस, कानपुर।
8. मुख्य अधिशासी अधिकारी, नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, कामर्शियल काम्पलेक्स, एच0 ब्लाक, सेक्टर अल्फा ।।,ग्रेटर नोएडा।

विषय :– विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं के लिये राज्यसहायित विद्युत दरों के प्रकरण में। याचिका संख्या– 374/2006

महोदय,

आयोग के आदेश दिनॉक 11 जुलाई 2006 की एक प्रति संलग्न रुप में कृपया अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(संगीता वर्मा)
सचिव

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ
के समक्ष

विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओ के लिये राजसहायित विद्युत दरो के प्रकरण में

और

निम्नलिखित के प्रकरण में

उत्तर प्रदेश, पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।

पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ1

मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।

दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।

कानपुर विद्युत वितरण कम्पनी, कानपुर।

नोएडा पावर कम्पनी लिमिटेड, नोएडा।

आदेश

आयोग ने दिनांक 28 जून 2006 को प्रबन्ध निदेशक , उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को संम्बोधित, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश शासन का दिनांक 14 जून, 2006 का एक पत्र प्राप्त किया जिसमें राज्य के विद्युत चालित करधा उपभोक्ताओं को रियायती फ्लैट दरों पर विद्युत की आपूर्ति करने के लिये निगम को निर्देशित किया गया था। शासनादेश दिनांक 14 जून, 2006 के प्रावधानों को नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा हैः

1- सामान्यतः यह सुविधा तीन फेज भार के लिये अनुमन्य होगी, लेकिन प्रदेश के कुछ भागों में जहॉ सिंगल फेज का भार है, वहॉ भी लागू होगी।

2- 60'' तक की रीड स्पेस (कंधी) के करघा के लिए रू0 65.00 प्रति करघा लिया जाय। यह माना जायेगाकि करघा का भार 0.5 अ0श0 है।

3- 60'' तक से अधिक रीड स्पेस के करघाों के लिए रू0 130.00 प्रतिमाह लिया जायेगा। यह माना जायेगा कि करघा का भार 1 अ0श0 है।

4- ग्रीमण क्षेत्रों में यह दर 60'' तक की रीड स्पेस के करघा के लिये रूप्ये 37.50 प्रति करघा एवं 60 से ऊपर रू075/अ0श0/माह ली जायेगी।

5- अतिरिक्त मशीनों पर षहरी क्षेत्र में रू0 130/अ0श0/ माह की दर से एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 75/अ0श0/ माह की दर से चार्ज किया जायेगा।

6- करघाों पर सहयोगी प्रकाश व्यवस्था एवं पंखा अनुमन्य होगा। कुल भार का 10 प्रतिशत आंकलित किया जायेगा। बुनकारों के बिल में 10 प्रतिशत धनराशि जोड़ दी जायेगीं

7- यह योजना 01.04.2006 से बुनाई के प्रयोग में आने वाले परिसर के लिये लागू होगी। दिनांक – 01.04. 2006 के बाद जमा किये गये वर्ष 2006–07 के माह अप्रैल एवं मई के बिल की धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

8- धोषणा पत्र (प्रारूप संलग्न) के आधार पर वर्तमान चालू कनेक्शन भी फलैट रेट के टैरिफ में बदल दिये जायेंगे। नये कनेक्शन हेतु भी यह प्रक्रिया होगी। एक सप्ताह में कनेक्शन दिया जायेगा। यथासम्भव नये कनेक्शन कैम्प लगाकर दिये जायेंगे एवं इसमें बुनकार प्रतिनिधियों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

नये कनेक्शन हेतु निम्न चार्जेज लिए जायेंगे–

(क) प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि रू0 200/अ0श0

(ख) सिस्टम लोड़िग चार्जेज

क. सं	भार	सिस्टम लोड़िग चार्जेज की दर
1	25 के0वी0ए0 तक	रू0 150–00/के0वी0ए0 अथवा उसका अंश
2	25 के0वी0ए0 से अधिक एवं 50 के0वी0ए0 तक	रू0 400–00/के0वी0ए0 अथवा उसका अंश
3	50 के0वी0ए0 से अधिक एवं 150 के0वी0ए0 तक	रू0 800–00/के0वी0ए0 अथवा उसका अंश

(ग) कनेक्शन हेतु केबिल बुनकरों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा एवं इसको नये कनेक्शन के खर्च में शामिल नहीं किया जायेगा। नये मीटर का खर्च बुनकरों से नहीं लिया जायेगा।

9- नवीन कनेक्शन के बाद विभागीय अधिकारी एवं जिलाधिकारी के द्वारा नामित बुनकर प्रतिधिधि द्वारा संयुक्त जॉच एवं आवश्यकतानुसार उपभोक्ताओं के लोड के गणना की कार्यवाही की जायेगी।

10- नवीन कनेक्शन के लिए एक पासबुक तैयार की जायेगी एवं बुनकारों को प्रतिमाह बिल जमा करना होगा। पासबुक में ही भुगतान की राशि की इन्ट्री की जायेगी। अलग से बिल नहीं दिया जायेगा। स्वीकृत भार से कम/अधिक भार होने पर पासबुक में भार कम/अधिक कर दिया जायेगा।

11- विद्युत चालित करघा के परिसर मे मीटर लगे रहेंगे अथवा नवीन कनेक्शनपर मीटर लगाये जायेंगे जिनका व्यय बुनकर उपभोक्ता को वहन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वर्श में 2 बार उनकी रीडिंग ली जायेगी जिससे निर्धारित लागू दर एवं फ्लैट रेट के बीच की सब्सिडी राज्य सरकार को तद्नुसार सूचना देकर, का आंकलन किया जा सके। मीटर रीडिंग से बुनकर उपीभोक्ता के विद्युत बिल देय नहीं होंगे।

उपर्युक्त पत्र की प्राप्ति पर आयोग ने पत्र का अध्ययन किया, और निम्न मुद्दों पर, जिनसे कि संविधिक समादेशो का खंडन संबंधित एवं प्रचालन संबंधी गंभीर समस्यायें उत्पन्न होती; अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। इस सम्बन्ध में आयोग की चिंतायें निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत हैः

(क) पावर कारपोरेशन लिमिटेड़ को इस प्रकार से, टैरिफ आदेश की दरों से भिन्न दरों पर विद्युत आपूर्ति उपब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है। जबकि, वर्तमान विधिक व्यवस्था अर्थात विद्युत अधिनियम, 2003 के अर्न्तगत राज्य सरकार धारा 108 के आधीन राज्य विद्युत नियामक आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन हेतु

निर्देश देने के लिए सशक्त है परन्तु अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा सीधे लाईसेंसधारियों को निर्देश देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) राज्य सरकार के र्निदेशों में यथाविहित दरें, एवं प्रक्रियाये, टैरिफ आदेश में अनुसूचित दरों से बिल्कुल भिन्न थीं। आयोग के टैरिफ आदेश में विद्युत चालित करधा उपभोक्तागण दो वर्गों में आते हैं अर्थात, 5 किलोभार से कम वाले एल.एम.वी. –2 के आधीन तथा 5 किलोभार या अधिक वाले एल.एम.वी.–6 के अधीन जिनमें की मीटर युक्त नगरीय उपभोक्ता से 80रू0/किलावाट/माह के डिमांड चार्ज (मांग प्रभार) और 3रूपये 90 पैसा प्रति यूनिट के ऊर्जा प्रभार के आधार पर मासिक रूप से बिल देने का प्राविधान है तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिये भिन्न दरों का प्राविधान है। दूसरी व्यवस्था होगी। इसके विपरीत शासन द्वारा जो स्वरूप प्रस्तावित किया गया, जैसा कि उपर विवरण से स्पष्ट है, वह रीड स्पेस, करधों की संख्या, अतिरिक्त मशीनों की संख्या तथा ग्राम–नगर वर्गीकरण के आधार पर समान दरों (फ्लैट रेट) पर आधारित था । इस प्रकार यह टैरिफ आदेश के दरों की अनुसूची को परिंवतित करने का प्रकरण बनता प्रतीत हुआ जो कि कानूनी ढांचे के अर्न्तगत अनुमन्य नहीं है।

(ग) शासनादेश दिनांक 14 जून 2006 में अग्रिम राज्य सहायता के भुगतान की बात नहीं कही गई थी जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा –65 में परिकल्पित है, और जिसका की धारा 108 के अधीन जारी किये गये सरकारी निर्देश पर भी अध्यारोही प्रभाव है।

(ध) शासनादेश दिनांक 14 जून 2006, तथा संलग्नक धोषणा प्रारूप के अध्ययन पर उसमें अनेक मुद्रण सम्बधी त्रुटियां या असंगतियां प्रदर्शित होती है, उदाहरणार्थ आदेश के बिन्दु संख्या –2 में 60" से कम रीड स्पेस के लिए 65 रू0 **प्रति करधा** तथा बिन्दु –3 में 60" से अधिक रीड स्पेस के लिए 130रू0 **प्रति माह** के प्रभार की व्यवस्था दी गई है। बिन्दु संख्या 4 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 60" से कम रीड स्पेस हेतु **रूपये 37.50 प्रति करधा** जबकि 60" से अधिक रीड स्पेस के लिए 75रू0/**हार्सपावर/माह का** प्रभार दिया गया है। धोषणा प्रपत्र में बिन्दु 6 एवं 7 दोनों मे केवल 60" से कम रीड स्पेस वाले करधों की बात कही गई है। उपर्यक्त सभी असंगतियों को सुधारे जाने की आवश्यकता है जिससे कि क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले भ्रम को दूर किया जा सके।

(ड) बिन्दु संख्या 8 में नये संयोजनों के लिए शासनादेश दिनांक 14 जून 2006 में, प्रदाय संहिता के उपबंधो को ध्यान में रखे बिना, अपने आप से ही प्रतिभूति प्रभारों एवं सिस्टम लोडिंग प्रभारों को विहित किया गया है।

(च) उक्त शासनादेष के बिन्दु संख्या 11 में दिया गया है कि नये संयोजनों के मामले में उपभोक्तागण मीटर की लागत वहन नहीं करेंगे जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55(1) के प्रथम परन्तुक से असंगत है।

(छ) उक्त शासनादेश में अनुबन्धित भार (कान्ट्रेक्टेड लोड) का अवधारण करते समय, अनुबन्धित मांग (कान्ट्रेक्टेड डिमांड) के उल्लंधन के लिए किसी उपचार की व्यवस्था नहीं दी गई है।

(ज) विद्युत चालित करधा उपभोक्ताओं हेतु सब्सिडाइज्ड. पेमेन्ट शिड्यूल (राज्यसहायित भुगतान अनुसूची) विनिर्दिष्ट करते समय शाशनादेष में न्यूनतम प्रभारों की प्रयोज्यता के उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई है जैसा कि एल.एम.वी.–2 तथा एल.एम.वी–6 के अधीन ऐसे उपभोक्ताओं के लिए दर अनुसूची में विनिर्दिश्ट है।

(झ) उक्त शासनादेश में, विद्युत चालित करधा उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो महीनों के बिलों रू0 5000/– के वर्तमान अनुतोष /छूट तथा उसके संभावी उपचार का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

यद्यपि आयोग की चिंताए उक्त सभी विषयों/मुद्‌दों पर थी तथापि लाइसेंसधारियों को अपने आदेश दिनांक 3 जुलाई 2006 के माध्यम से आयोग ने राज्य सरकार के उपर्युक्त निर्देश के उपबंधों को को क्रियान्वित न करने का निर्देश देते समय, केवल विधिक आपत्तियों को उठाने पर तरज़ीह दी है। आयोग के आदेश के सुसंगत अंश नीचे उद्‌धृत किय गये हैः

(क) *"इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्यमियों के एक वर्ग को प्रोत्साहित कर सकती है किन्तु ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके निर्देश विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत टैरिफ अवधारण से सम्बन्धित धाराओं में दिये गये संविधिक समादेशों के प्रतिकूल न चले जायें। यह देखा गया है कि धारा 108 चूँकि (Non-obstante) सर्वोपरि खण्ड से आरम्भ नहीं होती है इस लिए तद्‌ा अधीन जारी किये गये निर्देश अधिनियम के उपबन्धों में अधिकथित अपेक्षाओं विशेषकर अधिनियम की धारा 65 में उपबन्धित अपेक्षाओं का अध्यारोहण नहीं करते है। वर्तमान प्रसंग में राज्य सरकार के निर्देशों में यह प्रदान किया गया है कि प्रचलित टैरिफ की दरों और राज्य सहायित फ्‌लैट दरों पर देय धनराशि के बीच अन्तर का ऑकलन वर्ष में दो बार मीटर रीड़िंग कराकर उसके आधार पर किया जायेगा। राज्य सहायता (सब्सिडी) के भुगतान के बारे में बिना कुछ कहे उसके प्राकलन की यह प्रक्रिया अधिनियम की धारा 65 के विपरीत जाती है जो स्पष्टतः यह व्यवस्था करती है कि किसी उपभोक्ता को प्रदत्त राज्य सहायता का भुगतान राज्य सरकार द्वारा, आयोग द्वारा विर्निदिष्ट रीति से किया जायेगा।*

अन्यथा राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाया गया टैरिफ प्रभावी रहेगा। चूॅकि निर्देशों मे अग्रिम राज्य सहायता के लिए व्यवस्था नहीं दी गई है और अग्रिम भुगतान की रीति विनिर्दिष्ट करने हेतु, इस सम्बन्ध में, आयोग से सम्पर्क नही किया गया है अतएव धारा 65 के परन्तुक के अनुसरण में राज्य सरकार के निर्देशों में उपबन्धित दरों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

(ख) *राज्य सरकार सर्व साधारण रूप में नीतिगत प्रश्नो/विषयों पर निर्देष देने हेतु सशक्त है इस लिए उपभोक्ताओं के एक वर्ग को लक्ष्य करते हुए निर्गत इन निर्देशों पर हमें कोई आपत्ति नहीं है तथापि यहॉ यह बताना आवश्यक है कि राज्य सरकार के निर्देश, जैसा कि विद्युत चालित करधों के लिए रियायती दरें उपलब्ध कराने के वर्तमान मामले में है, नीति की परिधि के अर्न्तगत रहते हुए भी दरों को विर्निदिष्ट करने में निश्चित ही नीति के प्रश्न पर निर्देश देने की शक्ति की परिधि से बाहर है। स्मरणीय है कि आयोग ने लाईसेंसधारी के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो महीनों के बिलों में प्रति विद्युत चालित करधा उपभोक्ता 5000/–रूपये के वार्षिक अनुतोश /छूट की अनुमती दी थी। यदि सरकार इन उपभोक्ताओं को अग्रतर राज्य सहायता देना चाहती है तो सरकार विद्यमान दरों के ढाचें में छेड़–छाड़ किये बिना, अग्रिम अनुदान व्यवस्था के साथ, इन उपभोक्ताओं के लिए उच्चतर अनुतोष विनिर्दिष्ट कर सकती है।*

(ग) यह निर्देश उस सीमा तक अधिकारातीत है जहॉ तक वह विद्युत चालित करधा उपभोक्ताओं के लिए विनिर्दिष्ट फ्लैट दरों की व्यवस्था करते है और वह भी अनुमानित कान्ट्रेक्टेड लोड के आधार पर (जिसका वास्तविक संयोजित भार से कोई सम्बन्ध नहीं है) और विद्युत अधिनियम खण्ड की धारा 65 के अनुसार अग्रिम भुगतान करने के राज्य सरकार के वचन की व्यवस्था नहीं करते है। लाईसेंसधारियों को तदानुसार निर्देशित किया जाता है कि वे विद्युत चालित करधा उपभोक्ताओं पर कोई पुनरीक्षित दरें लागू न करें और उनकी बिलिंग टैरिफ आदेश 2004–05 में उपबन्धित दर – अनुसूची के वर्तमान छूट के प्राविधानों के अनुसरण में ही किया जाये।'

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है आयोग ने विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 108 के उपर धारा 65 के अघ्यारोही प्रभाव पर बल दिया है और साथ ही उसका यह मानना है कि विनिर्दिष्ट दरों का निर्धारण नीतियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है बल्कि यह आयोग को अनन्य क्षेत्राधिकार है। आयोग के आदेश दिनांक 3 जुलाई, 2006 के सन्दर्भ में मे0 रियल फूड प्रोडक्टस लिमिटेड़ एवं अन्य आदि बनाम ए0 पी0 स्टेट इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 1 मार्च 1995 का तथा छितूर जिला व्यवष्यादरूल संहम् बनाम ए0पी0 स्टेट इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड एवं अन्य के मामले में दिनांक 3 नवम्बर 2000 के निर्णय द्रष्टव्य हैः–

रीयल फूड प्रोडक्ट्सः

"जहॉ राज्य सरकार का निर्देश, जैसा की वर्तमान मामले में है, कृषिपरक पम्पसेटों के लिए प्रति हार्स पावर एक समान दर पर रियायती टैरिफ नियत करने के लिए था, वह नीति के विषय से सम्बन्धित है जिसे बोर्ड को मानना चाहिए। तथापि, जहॉ तक निश्चित दरों को इंगित करने का प्रश्न है, राज्य सरकार का यह कार्य नीति के विषय पर निर्देश देने की शक्ति की परिधि से बाहर है, जिससे बोर्ड, यदि उसका निष्कर्ष एतद् भिन्न हो तो, मानने के लिए बाध्य नहीं भी हो सकता है।"

छितूरजिला व्यवश्यादरूल संहमः

इस मामले के तथ्यों पर प्रश्नगत वर्ष के लिए, राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय का अर्थान्वयन रैय्तो को, राज्यसहायित एवं रियायती टैरिफ दरों पर विद्युत की आपूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। आश्वासन के दूसरे भाग अर्थात प्रति हार्सपावर 50रू0 की दर पर विद्युत आपूर्ति करना, का अर्थान्वयन घारा 78(क) के अधीन नीतिगत निर्देश के रूप में नहीं किया जा सकता .... इसलिए, राज्य और बोर्ड दोनो को ही संविधिक स्वीकृतियों के सम्बन्ध में अपना सौहार्द्र और सामान्जयस्य बनाये रखना है। यदि कोई नीतिगत निर्देश, बोर्ड को उसके अनुपालन क्रम में संविधिक सीमाओं से परे ले जाता है, तो वह धारा 78(क) के अन्तर्गत निर्देश नहीं हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 78(क) के आरंभिक शब्द है, अपने कृत्यों के निर्वहन में बोर्ड ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित होगा। इसलिए, राज्य सरकार का निर्देश, बोर्ड को उसके कृत्यों के निर्वहन में मार्ग दर्शन देने के लिए है। अतः निर्देश ऐसी सीमा के अन्तर्गत ही दिये जा सकते है जो बोर्ड के संविधिक दायित्वों के सम्पादन में सहायक होंगे।" यहॉ यह स्मरण दिलाना समीचीन होगा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के अधीन "नीति निर्देशन" शब्द का निर्वचन, प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 78(क) के सन्दर्भ में उक्त शब्द के निर्वचन के प्रयोजनार्थ उपर उद्धृत उच्च्तम न्यायालय विनिर्णय (रूलिंग) के समान होगा। स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को राज्यसहायित टैरिफ उपलब्ध कराने के लिये अग्रिम राज्यसहायता (एडवान्स सब्सिडी) की आवश्यकता, विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन नीतिगत निर्देशों के अनुपालनार्थ एक अतिरिक्त पूर्वापेक्ष है।

उक्त आदेश के निर्गत किये जाने के पश्चात अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने पांच वितरण कम्पनियों के अध्यक्ष की हैसियत से एक शपथ पत्र दिनांक 10 जुलाई 2006 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अधीन निर्गत राज्य सरकार के निर्देश के साथ साथ कानूनी ढांचे की अनुरूपता में एक नयी योजना उपलब्ध करायी गई है। शपथ पत्र में यथा प्रस्तावित योजना को नीचे उद्धृत किया जा रहा है,

1. "यह कि उपर्युक्त आदेश के बावजूद लागू टैरिफ के अनुसार सामान्य बिलिंग की जायेगी।

2. यह कि बनुकरों से भुगतान का संग्रहण सरकार के निर्देशानुसार सामान्य बिलिंग चक्र के हिसाब से किया जायेगा

3. यह कि सरकार से अग्रिम राज्य सहायता का संग्रहण एक किश्त में या अधिकतम दो अर्धवार्षिक किश्तों में किया जायेगा। राज्य सहायता के समायोजन का लेखा सरकार को प्रत्येक छमाही पर प्रस्तुत किया जायेगा और तदनुसार ऑकलित कोई भी कमी होगी तो सरकार से संग्रहीत की जाएगी।

4. यह कि बुनकरो को पहले से ही पांच हजार रूपये प्रतिवर्ष की राज्य सहायता मिल रही है जोकि उपर्युक्त आदेश से बढ सकती है, लेकिन क्योंकि सरकार धारा 65 और धारा 68 के सम्बन्ध में उपर्युक्त कम्पनियों को किसी भी हानि के लिये क्षतिपूर्ती कर रही है अतएव, उपर्युक्त नामित लाईसेंसधारियों को उक्त शासकीय आदेश के कियान्वयन में कोई आपत्ति नहीं है।"

घारा 108 की अधीन सरकार द्वारा जारी किया गया नीतिगत निर्देश नीचे उद्धृत किया गया हैः

"मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश संख्या 1969/24/पी–3–2006, दिनांक 14 जून 2006 के अनुसार विद्युत चालित करधा बुनकरों को समान दर के अधार पर विद्युत उपलब्ध कराने का निश्चय किया गया है। सरकार ने वितरण लाईसेंसधारियों को उपर्युक्त शासनादेश के कियान्वयन के कारण होने वाली किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने का भी विनिश्चय किया है। राज्य के बजट में 30 करोड रूपये का अस्थाई प्रावधान किया गया है जिसके लिए स्वीकृती शीध्र ही जारी कर दी जायेगी।

उपर्युक्त षपथ पत्र और राज्य सरकार के नीतिगत निर्देशों से यह स्पश्ट है कि चार अनिवार्य संविधिक अपेक्षाये, जो आयोग के आदेश दिनांक 3 जुलाई 2006 में उठाई गई थी, अर्थात –

(क) आयोग की दरों की अभिकल्पना (रेट डिजाइन) मे परिर्वतन न होना,

(ख) बिलिंग की दर अनुसूची के अनुसार ही किया जाना,

(ग) अग्रिम राज्य सहायता के प्राविधान का अनुपालन,

(ध) सम्बन्धित मामले में धारा 108 के अधीन आयोग को निर्देश,

का अनुपालन हो गया। इस प्रकार से अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के शपथ पत्र के साथ पठित राज्य सरकार का यह नीति –निर्देश समूचित कानूनी ढाचें के भीतर आ जाता है जैसा कि संविधिक समादेशों के अधीन अपेक्षित है।

तदोपरान्त आयोग, योजना के कियान्वयन के प्रचालकीय विवरणों को देखना चाहेगा, जैसा कि नीचे गिनाया गया है,

1. आयोग, पत्र दिनांक 10 जुलाई 2006 के शपथपत्र के बिन्दु संख्या 1 और 2 से सहमत है अर्थात, टैरिफ आदेष 2004–05 के अधीन विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं की बिलिंग प्रचलित दर अनुसूची के अनुसाार ही की जायेगी जबकि विद्युत चालित करधा उपभोक्ताओं से भुगतान का संग्रहण सरकार के नीतिगत निर्देशानुसार किन्तु टैरिफ आर्डर में प्रदत्त समान बिलिंग चक्र के हिसाब से किया जायेगा। इस प्रसंग में यह स्पष्टीकरण अपेक्षित है चूँकि टैरिफ लागू किये जाने की कियाविधि और सि़द्धान्तों को नीति–निर्देशों द्वारा नही बदला जा सकता है और साथ ही कि अध्यक्ष, यू.पी.पी.सी.एल द्वारा दखिल की गई याचिका में भी टैरिफ ढाचे के अनुसार बिलिंग किया जाना तथा सामान्य बिलिंग चक्रानुसार भुगतान किया जाना स्वीकारा गया है अतः राज्य सरकार द्वारा 14 जून 2006 को निर्गत निर्देशों के होते हुए भी इन उपभोक्ताओं की मीटर रीडिग मासिक आधार पर की जायेगी न कि द्विवार्षिक आधार पर। यह इस लिए भी तकनीकी रूप से अकाट्य है क्योंकि इन परिसरों में स्थापित अधिकांश मीटरों में 45 दिनों से अधिक की गणना धारण क्षमता (मेमोरी स्टोरेज) नही होगी इसलिए यदि रीड़िग छमाही आधार पर ली जाती है तो मासिक आधार पर प्राप्त वास्तविक मांग को ग्रहण नहीं किया जा सकता जिससे कि टैरिफ आदेश में दी गई दर अनुसूची के आधार पर बिल तैयार किया जा सके। वैसे भी वास्तविक राज्य सहायता की संगणना हेतु मांग और ऊर्जा की मासिक रीड़िग और बिलिंग अपरिहार्य है। अतएव विद्युत चालित करधा उपभोक्ताओं हेतु मासिक बिलों में निम्नलिखित स्पष्टतः प्रतिबिम्बित किया जायेगाः

(क) वास्तविक मासिक नियत/मॅाग प्रभार एवं ऊर्जा उपभोग प्रभार के आधार पर टैरिफ आदेश के अनुसार बिल,

(ख) उपभोक्ता से भुगतान राज्य सरकार के निर्देर्शो के अनुसार,

(ग) उपभोक्ताओं के लिए सरकार द्वारा संदेय मासिक राज्य सहायता (क–ख)

इस प्रसंग में यह उल्लेख करना आवष्यक है कि मासिक मीटर रीड़िग तथा बिलिंग से किसी भी रूप में उपभोक्ता का हित बाधित नहीं होगा क्योंकि उन्हे सरकारी आदेशों के अनुसार ही भुगतान करना है। किन्तु इससे लाईसेंसधारी को ऊर्जा का समुचित लेखा रखने में तथा अनुदान राशि के सटीक ऑाकलन करने में सहायता होगी।

2. राज्य सरकार ने अपने बजट में 30 करोड रूपयों को अग्रिम राज्य सहायता का पहले ही वचन दिया है जिसके लिए राज्य सरकार की नीतिनिर्देश संख्या 121/24–पी–3–2006 दिनांक 7 जुलाई 2006 के अनुसार शीध्र ही निधि र्निमुक्त किये जाने की आशा है, इस लिए धारा 65 की अपेक्षायें व्यापक रूप से पूरी हो जाती है। इस तथ्य को समझते हुए कि अग्रिम राज्य सहायता की धनराशि का वास्तवविक

प्राकलन नहीं किया जा सकता है, लाईसेंसधारियों को निर्देषित किया जाता है कि वे वर्ष हेतु अपेक्षित कुल अनुदान राशि आवश्यकता के सम्बन्ध में विद्युत चालित करधा उपभोक्ताओं के चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल,मई एवं जून 2006, जिनके लिए बिलिंग प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार हो चुकी होगी, के बिलिंग आंकड़ो पर आधारित खण्ड (डिवीजन) वार संगणनात्मक ब्योरों को इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें जिससे कि आयोग आस्वस्त हो सके कि अग्रिम सहायता कि रुप में प्रदत्त 30.00 रुपये की धनराशि अग्रिम राज्य सहायता की आवश्यकता के अनुरुप है।

3. आयोग शपथ–पत्र के इस अभिकथन से भी सहमत है कि राज्य सहायता का वास्तविक समायोजन छमाही आधार पर किया जायेगा। और इस आधार पर प्राप्त कोई भी कमी सरकार से संग्रहीत की जायेगी। मासिक आधार पर अनुमोदित मीटर रीडिंग और बिलिंग के दृष्टिगत राज्य सहायता की वास्तविक आवश्यकता छमाही आधार पर स्पष्ट रुप से निकाली जा सकती है।

4. शपथपत्र मे यह भी कहा गया है कि सरकार से अग्रिम राज्य सहायता का संग्रहण एक किस्त मे या अधिकतम दो छमाही किस्तो में किया जायेगा। इस प्रसंग में यह स्मरण योग्य है कि धारा 65 उपबंधित करती है कि राज्यसरकार द्वारा राज्य सहायता का अग्रिम भुगतान आयोग द्वारा विर्निदिष्ट रीति के अनुसार किया जायेगा। इसलिये आयोग का विशेषाधिकार है कि वह उस समयान्तराल को विर्निदिष्ट करे जिसके अनुसार अग्रिम राज्य सहायता का भुगतान सरकार द्वारा किया जायेगा तथापि उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित दो छमाही किस्तो के प्रस्ताव को स्वीकारने में आयोग को कोई आपत्ति नही प्रतीत होती है।

5. आयोग लाइसेंसधारियों को यह भी निर्देशित करता है कि वे विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष के उनके अन्तिम दो महीनो के बिलो में 5000/रुपये के अनुतोष/छूट के वर्तमान प्राविधान को रोक दे क्योकि पूर्ववर्ती अनुतोष योजना की निरन्तरता का उल्लेख किये बिना सरकार द्वारा फ्लैट रेट के आधार पर राजसहायित भुगतान की बिल्कुल नयी योजना प्रस्तावित की गयी है जिसके लिये उसने अनुदान का प्राविधान भी कर दिया है।

6. शासनादेश दिनॉक 14 जून 2006 में यथा उपबंधित नये संयोजनो के लिये प्रतिभूति निक्षेप (सेक्योरिटी डिपाजिट) के मुद्दे पर आयोग अपने आदेश दिनॉक 3 जुलाई 2006 का संदर्भ देना समीचीन समझता है जिसमें यह कहा गया था कि चूॅकि धारा– 108, सर्वोपरि खण्ड से आरम्भ नही होती है अतएव उसके अधीन जारी निर्देश विद्युत अधिनियम 2003 तथा तदाधीन बनाये गये अन्य विनियमों के प्राविधानो में अधिकथित दायित्वो का अध्यारोहण नही करते है। यह निष्कर्ष पोद्दार प्राकजेक्ट्स लिमिटेड बनाम ए0पी0एस0ई0बी0 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशो की सुसंगति में भी है। चूॅकि प्रतिभूति निक्षेप का प्राविधान प्रदाय संहिता 2005 के खण्ड 4.20 के अनुसार दो महीनो के अनुमानित विद्युत उपभोग के आधार पर किया गया है जो कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 50 के

द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अधीन बनाया गया है, इसलिये इस प्राविधान को किसी नीतिगत निर्देश में विर्निदिष्ट प्रतिभूति धनराशि द्वारा परिवर्तित नही किया जा सकता है। चूँकि प्रतिभूति निक्षेप की व्यवस्था का मूल अभिप्राय, उपभोक्ता द्वारा अपने भुगतान में न किये जाने की स्थिति में लाइसेंसी के हितो की रक्षा करना होता है इसलिये वर्तमान प्रसंग में प्रतिभूति निक्षेप धनराशि की गणना उपभेक्ता द्वारा दो माह के लिये अदा किये गये कुल फ्लैट प्रभार के आधार पर की जानी चाहिये जो कि उसके द्वारा समयानुसार भुगतान न किये जाने की स्थिति में लाइसेंसधारी को प्रतिरक्षित करने के लिये पर्याप्त होगी और इस प्रकार वह प्रदाय संहिता के उपबन्धों के अनुरुप भी हो जायेगा।

7. शासनादेश की यह व्यवस्था कि विद्युत चालित करघा उपभेक्तागण नये संयोजनो के मामले में मीटर का व्यय वहन नही करेगे, विद्युत अधिनियम 2005 की धारा 55 (1) के प्रथम परन्तुक के प्रतिकूल जाता है, जो कि यह प्राविधान करती है कि उपभोक्ता को मीटर किराया के साथ मीटर की कीमत हेतु प्रतिभूति का व्यय करना होगा जब तक कि वह मीटर क्रय करने के विकल्प का चयन नही करता है। शासनादेश से यह प्रतीत होता है कि विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं को नये संयोजनो के मामले मे लागत मुक्त मीटर दिये जायेगे, तदनुसार ऐसी स्थित में राज्य सरकार को इस मद के लिये पृथक से पूँजीगत राज्य सहायता (कैपिटल सब्सिडी)चिन्हित करनी चाहिये।

8. शासनादेश के बिन्दु–2 और 3 के अधीन विद्युत चालित करघो तथा अन्य मशीनो के भार (लोड) की धारणा करते समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि उपभोक्ता का अनुबंधित भार, विभिन्न करघो एवं अन्य मशीनो हेतु माने गये सकल भार का कुल योग होगा। यहॉ यह बताना भी समीचीन है कि अधिकॉश विद्युत चालित करघे जो 25 बी0एच0पी0 से ऊपर है उनमे स्टेटिक टी0वी0एम0 अवश्य होगा और अन्य के पास भी एम0डी0आई0 सुविधा युक्त मीटर अवश्य होगे। ऐसी स्थिति में दर अनुसूची के अनुसार यदि टी0वी0एम0/एम0डी0आई0/टी0ओ0डी0 मीटर वाले उपभोक्ताओं की अधिकतम मॉग अनुबन्धित भार से अधिक चली जाती है तो ऐसी अतिरिक्त मॉग को सामान्य दर से दो गुने पर उद्ग्रहीत किया जायेगा। चूँकि शासनादेश में इस सम्बन्ध में कोई प्राविधान नही है अतः इससे क्षेत्रीय स्तर पर भ्रम की स्थिति बन सकती है। अनुबन्धित भार के ऐसे अधिग्रहण से (विभिन्न मशीनों के अभिगृहीत भारों (डीम्ड लोड) के कुल योग के आधार पर) उपभोक्ता के पास भी अपने अनुबंधित भार को बढवाने का विकल्प नही रह जायेगा। इस प्रसंग मे यह उल्लेख आवश्यक है कि जब कभी भी किसी धारणा उपबन्ध के माध्यम से कोई भी कल्पना उत्पन्न होती है तो अभिधारणा से सम्बन्धित सभी विपक्षायें अनवार्यतः अनुसरण करेगी। यहॉ लार्ड एस्क्थि के एतिहासिक निर्णय से अक्सर उद्धृत किये जाने वाले प्रस्तरॉश को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगाः

'' यदि आपको किसी काल्पनिक क्रिया कलाप की स्थिति को वास्तविकता के रुप में विवेचन करना पडे तो जब तक कि ऐसा करना निषिद्ध न किया गया हो, तो आपको अवश्य ही उन परिणामों और घटनाओं, जो

कि यदि ऐसे अनुमानित क्रिया कलाप वास्तव में अस्तित्ववान होते, की कल्पना भी वास्तिविक रुप मे करनी चाहिए जो उससे अपरिहार्यतः निःस्रित होते या उसके सहगामी होते।''

जब संविधान कहता है कि आपको एक निश्चित क्रिया कलाप की स्थिति की कल्पना करनी चाहिये तो, वह यह नही कहता कि ऐसा करते हुये आपको अपनी कल्पना को असमंजस मे पडने देना चाहिये जबकि क्रिया कलापो के अनिवार्य निष्कर्षो की स्थिति आ जाये।''

इसलिये ऐसी स्थिति में जब विद्युत चालित करघा उपभोक्ता की वास्तिविक मॉग उसकी सकल अभिग्रहीत अनुबंधित मॉग से अधिक हो जाये तो टैरिफ आदेशों के अनुसरण में अतिरिक्त मॉग प्रभार उद्ग्रहीत किया जायेगा। चूँकि उपभोक्ताओं से भुगतानो का संग्रहण शासनादेश दिनॉक 14 जून 2006 के अनुसार किया जाना है इसलिये यह स्पष्ट नही है कि अनुबंधित मॉग के उल्लंघन के लिये दण्ड का भार कौन वहन करेगा। उक्त के दृष्टिगत लाइसेंसधारियो को निर्देशित किया जाता है कि वे इस मुद्दे का स्पष्टीकरण राज्य सरकार से कर लें और इस आदेशा के निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष इस स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करें।

9. टैरिफ आदेश 2004–05 के अधीन ऐसे विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं, जो नगरीय अनुसूची के अनुसार आपूर्ति पा रहे है उनके लिये एल0एम0वी0–2, के अधीन 260/रुपये प्रति कि0वा0 प्रतिमाह और एल0एम0वी0–6, दर के अन्तर्गत 385 रुपये प्रति कि0वा0 प्रतिमाह के न्यूनतम प्रभार का प्रावधान करता है। यदि विद्युत चालित करघा उपभोक्ता का वास्तविक बिल विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रभार से कम आता है तो टैरिफ आदेशों के उपबन्धानुसार न्यूनतम प्रभार उद्ग्रहीत किये जायेगे। ऐसी स्थिति मे यदि विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं से प्राप्त किये जाने वाला फ्लैट भुगतान न्यूनतम प्रभार से भी कम होता है तो शासनादेश के अनुसार अवशेष धनराशि अर्थात न्यूनतम प्रभार की धनराशि मे से उपभोक्ता द्वारा किये गये फ्लैट भुगतान को घटाने के पश्चात प्राप्त धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा सहायता के रुप में किया जायेगा।

10. जहॉ तक माह अप्रेल, मई 2006 के बिलों का भविष्य के बिलों में समायोजन का सम्बन्ध है, आयोग को तब तक कोई आपत्ति नही है जब तक की इन महीनो के भुगतान के प्रति सरकार द्वारा राजसहायता सुनिश्चित की जाती है। यह एक अनोखी स्थिति थी जिसमे आयोग को सरकार के नीतिगत निर्देशो के समक्ष अपनी सांवधिक बाध्यताओं के अनुसरण में अपने कृत्यो का निष्पादन करना पडा। सरकारी निर्देशो के लिये कहा जाता है कि *–'' कोई कानून क्राउन (शीर्ष) से आबद्ध नही करता है जब तक कि क्राउन (शीर्ष) को उसमे अभिव्यक्त रुप से अभिहित नही किया जाता है''* परन्तु यह नियम कम से कम एक अपवाद के अधीन है जहॉ विधान मण्डल का ही यह आशय था कि पहले क्राउन (शीर्ष) को आबद्ध किया जाये क्योकि तब यह माना जायेगा कि अनुमति देने के कारण क्राउन (शीर्ष) कानून के उपबन्धो से आबद्ध होने को सहमत है। अतः आयोग ने सभी पणधारियों अर्थात विद्युत

चालित करघा उपभोक्ताओं, साधारण उपभोक्ताओ और लाइसेंसधारियो के हितो का ध्यान रखते समय विधिक ढॉचे की चारो दीवालों के भीतर रहकर नीति निर्देशों का निर्वचन करने के अपने दायित्व को निर्वहन करने का सर्वोत्तम प्रयास किया है जैसा कि इस आदेश के पूर्वगामी प्रस्तरो में विवेचन किया गया है। आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेजो पर विचार करने के पश्चात, तथा उसका विश्लेषण किये जाने के उपरान्त आयोग के निष्कर्ष निम्नवत् है :–

1. विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं की बिलिंग मासिक आधार पर टैरिफ आदेश 2004–05 की प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार ही की जायेगी ।
2. विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं से भुगतान सरकार के नीतिगत निर्देशों के अनुसार मासिक आधार पर लिया जायेगा।
3. प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बिन्दु–1 के अधीन उद्ग्रहीत बिल मे से बिन्दु–2 के अधीन धनराशि को घटाकर के बिल में राजसहायता (छूट) की वास्तविक धनराशि को दर्शाया जायेगा।
4. लाइसेंसधारियो को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष के लिये अपेक्षित कुल राज्यसहायता के सम्बन्ध में विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं के चालू वित्तीय वर्ष के माह अप्रेल, मई एवं जून 2006, जिनके लिये कि बिलिंग प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार हो चुकी होगी, के बिलिंग ऑकडो पर आधारित ब्योरों को इस आदेश के जारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें जिससे कि अग्रिम राज्य सहायता के रु्प में 30.00 करोड रुपये के ऑकडे का औचित्य सिद्ध किया जा सके।
5. सरकार से अग्रिम राज्यसहायता दो छमाही किस्तो में संग्रहीत की जायेगी।
6. मासिक रुप से मीटर रीडिंग और बिलिंग के आधार राजसहायता की वास्तविक आवश्यकता छमाही आधार पर निकाली जायेगी। किसी कमी या अधिशेष का समायोजन तदनुसार किया जायेगा।
7. विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष के उनके अन्तिम दो बिलों में 5000/– रुपये की वर्तमान छूट रोक दी जाये।
8. नये संयोजनो पर प्रभार्य प्रतिभूति निक्षेप की धनराशि की संगणना शासनादेश दिनॉक 14 जून 2006 के अनुसार विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं द्वारा दो महीनो में किये जाने वाले भुगतान के आधार पर किये जाना चाहिए।
9. नये संयोजनों के मामले में विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं को मुक्त (लागत मुक्त) मीटर उपलब्ध कराने के लिये सरकार को इस मद के लिये पृथक से पूॅजीगत राज्यसहायता चिन्हित करनी होगी।

10. लाइसेंसधारियो को निर्देशित किया जाता है कि विद्युत चालित करघा उपभोक्ताओं द्वारा अपनी अभिगृहीत अनुबंधित मॉग का अधिक्रमण करने की दशा में ऐसी अधिक मॉग के लिये शास्ति (पेनालिटी) के सम्बन्ध में राज्य सरकार से वे स्थिति स्पष्ट कर लें और और सम्बन्धित स्पष्टीकरण को इस आदेश के निर्गमन के 15 दिनो के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

11. यदि विद्युत चालित करघा उपभोक्ता का बिल टैरिफ आदेश के अनुसार न्यूनतम प्रभारो के आधार पर तैयार किया जाता है और उपभोक्ता का फ्लैट पेमेन्ट उससे कम बनता है तो अवशेष धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा राज्सहायता के रुप में किया जायेगा।

12. माह अप्रेल एवं मई 2006 के बिलों का आगामी बिलों में समायोजन अनुमन्य है।

यह आदेश इस प्रकरण में आयोग के आदेश दिनॉक 3 जुलाई 2006 के अधिक्रमण मे जारी किये जाते है। लाइसेंसधारियों को निर्देश दिये जाते है कि वे इस आदेश में निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें।

हस्ताक्षर
(आर0 डी0 गुप्ता)
सदस्य

हस्ताक्षर
(विजय कुमार)
अधयक्ष

स्थान :– लखनऊ
दिनॉक :– 11 जुलाई, 2006